


11/3/24  
11/3/24

सहायक कलेक्टर करेड़ा

पत्रावली वकील प्रार्थी ने उपरोक्त एक प्रपत्र  
पेश किया जिस पर प्रशासकी अधिकारी से प्रपत्र  
की कार्य प्रकृति में प्रयोग व वकील प्रार्थी  
से आगे और कोई कार्यवाही नहीं चलने का  
निवेदन किया गया प्रकृति में वकील प्रार्थी  
की वकालत सुनी गई प्रशासकी का उपरोक्त  
सिद्धांत प्रकृति में प्रयोग व वकील  
प्रार्थी द्वारा प्रकृति में और कोई कार्यवाही  
नहीं चलने से प्रार्थी के प्रपत्र की कार्यवाही  
इसी तब पर समाप्त की जाती है प्रकृति में

Not press  
कसा है  
Muker  
11/3/24



उपखण्ड अधिकारी वरिष्ठ  
सहायक कलेक्टर करेड़ा



<p>तारीख हुकम</p>	<p>फुल २४४/२०२२ ज.प.प. हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज जमींदारी कानून १९७२ के अन्तर्गत</p>
	<p>पूर्व में जारी एक पञ्जीय अस्थादी निवेधाना दिनांक ३॥/२०२२ को स्वतः निराल माना जावे। पुरावही फेलाने अंशक होकर इन्ही नम्बर से काम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी पदवी सहायक कलेक्टर करेडा</p>